फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

सरती बनाम अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली व अन्य

केस संख्या 174/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
18.10.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 48/2022 व उनवानी रामनिवास बनाम सरती व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर